कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर

पत्रांक— 3152 /13—1 ललितपुर दिनांक:— 02 जनवरी/2023 फरवरी

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।

विषय— जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जाखलौन—बिरधा, धौर्रा, बालावेहट, कड़ेसरा कला और मउ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ कापत्रांक—2319/11—सी—FP/UP/Water/155091/2022 दिनांक 16.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रकरण में परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गया। उक्त कमियों का निराकरण कर प्रकरण संस्तुति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

आपत्ति	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण
1— प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि की वचतबद्धता एवं उसकी खतौनी संलग्न नहीं है।	अधीशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि की वचतबद्धता एवं खतौनी संलग्न कर दी गयी है।
2— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक—वी0आई0पी0 23/14—2—2019—190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वन भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक—वी0आई0पी0 23/14—2—2019—190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न का दिया गया है।
3— प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक—1428/11—सी दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	DSS की वचनबद्धता संलग्न कर दिया गया है।
4—परियोजना में प्रभावित संरिक्षत वन भूमि के सापेक्ष दुगने अर्थात 4.05 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राक्कलन में चयनित स्थल का क्षेत्रफल 4.05 हे0 अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही क्षेत्रफल 4.04 हे0 अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन यथास्थान पर अपलोड करें।	सही क्षेत्रफल 4.04 हे0 अंकित कर संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन यथास्थान पर अपलोड कर दिया गया है एवं 4.04 हे0 अवनत वन भूमि (DFL) की के0एम0एल0 फाइल क्रमांक—09 अपलोड करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। 4.04 हे0 की के0एम0एल0 फाइल को पेनड्राइव/सीडी में ट्रान्सफर कर दिया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
5— प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचतबद्धता संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचतबद्धता संलग्न कर दी गयी है (पेज नम्बर 119 संलग्न है)।
6— प्रस्ताव मे संलग्न वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी मोहर, तिथि एवं पत्रांक अंकित नहीं है। अतः सही कर संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड करें।	2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी मोहर, तिथि एवं पत्रांक अंकित कर दिया गया है एवं संशोधित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—2 में अपलोड कर दिया गया है।
7— गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलगन है, किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	प्रभावित गाटा नम्बर चिन्हित कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

8– प्रस्ताव में संलग्न किये गये सेंचुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में संचुरी/वन्यजीव विहार की दूरी 100 मीटर बताया गया है, किन्तु सेंचुरी/वन्यजीव विहार का नाम व प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रमाण पत्र में इको सेन्सिटिव जोन की स्थिति के बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सही व स्पष्ट स्थिति का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	वन्य जीव विहार का नाम व अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर एवं ईको सेन्सिटिव जोन की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
9– ऑनलाइन पार्ट–1 के क्रमांक–1, में आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही गैर वन भूमि का विवरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख यथाः Geo Referenced Digtal Map, SoI Toposheet & Kml file अपलोड नहीं है।	अधीशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर द्वारा Geo Referenced Digtal Map, SoI Toposheet & Kml file अपलोड कर दिया गया है।
10– प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव संलग्न नहीं है।	हार्ड कापी भाग–2 संलग्न कर दिया गया है।
11– ऑनलाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जा रही गैर वन भूमि को अवगत वन भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर ऑनलाइन पार्ट–1 में गैर वन भूमि के रूप में अपलोड करें।	ऑनलाइन भाग–2 में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दी जा रही गैर वनभूमि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
12– संलग्न पेनड्राइव में अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है तथा प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के के0एम0एल0 फाइल अपलोड भी नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल, जिसमे प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	एक पी0डी0एफ0 फाईल एवं समस्त के0एम0एल0 फाईल पेनड्राइव/सीडी में ट्रान्सफर कर दिया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

02/02/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

पत्रांक :– /सम दिनांक

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/02/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

Scanned with OKEN Scanner